संख्या- 19 /2024/70मु0मं0न0सृ0यो0/नौ-2-2024- E-1690908

प्रेषक,

संजय कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नगरीय निकाय निदेशालय,
उ0प्र0 लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 10 फरवरी, 2024

विषय:- मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नवसृजित/उच्चीकृत/सीमा विस्तारित नगरीय निकायों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के पत्र संख्या-58-डी0एस0एम0/नगर निकाय/3726, दिनांक 12.01.2024 एवं अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-122/24-1-2024-1534/2022, दिनांक 03.02.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नवसृजित/उच्चीकृत/सीमा विस्तारित निकायों में गुणवत्तापरक विद्युत आपूति के लिये शेष निर्माण कार्य को ससमय पूर्ण कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि रू0 49800.00 लाख (रूपये चार अरब अट्ठानबे करोड़ मात्र) निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनान्तर्गत नवसृजित/उच्चीकृत/सीमा विस्तारित नगरीय निकायों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा अपने पत्र संख्या-684/सी0एम0यू0(डी0)/एस0ई0-01, दिनांक 14.03.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी कार्ययोजना के क्रम में शासनादेश संख्या-48/2023/529/नौ-9-2023-01-ई-1690908, दिनांक 30.03.2023 द्वारा मुख्यमंत्री नगर सृजन योजनानतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत निकायों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कुल धनराशि रू0 99600.00 लाख (रूपये नौ अरब छियानबे करोड़ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किशत में 50 प्रतिशत धनराशि रू0 49800.00 लाख (रूपये चार अरब अट्ठानबे करोड़ मात्र) अवमुक्त की गयी। अवमुक्त धनराशि से प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के पत्र दिनांक 12.01.2024 एवं अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन के अर्द्धशासकीय पत्र दिनांक 03.02.2024 द्वारा द्वितीय किशत अवमुक्त करने हेतु किये गये अनुरोध के दृष्टिगत अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि **रू0 49800.00 लाख (रूपये चार अरब अट्ठानबे करोड़ मात्र)** निम्नलिखित विवरण/ शर्तों /प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	नगरीय निकाय का प्रकार	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि	प्रथम किशत में निर्गत की गयी धनराशि का विवरण	द्वितीय/ अन्तिम किशत में निर्गत की जा रही धनराशि का विवरण
1	सीमा विस्तारित/ उच्चीकृत नगर निगम	32600.00	16300.00	16300.00
2	सीमा विस्तारित/ उच्चीकृत नगर पालिका परिषद	32100.00	16050.00	16050.00
3	नवसृजित नगर पंचायत	17800.00	8900.00	8900.00

4	सीमा विस्तारित/ उच्चीकृत नगर पंचायत	17100.00	8550.00	8550.00
कुल योग		**99600.00**	**49800.00**	**49800.00**

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध-

1.स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-5/2023-बी-1-322/दस-2023, ई-पत्रावली सं0-10-5002/125/2021, दिनांक-02.05.2023 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सम्बन्धित निकाय को धनराशि नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

2. इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1489/नौ-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 के माध्यम से निर्गत मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना की गाईडलाईन्स के दिशा-निर्देशों में निर्धारित प्रक्रियानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

3. धनराशि का आहरण राजकोष में तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से बैंक/डाक घर में नहीं रखी जायेगी।

4. अवमुक्त की जा धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क ऑर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही स्वीकृत कार्यों हेतु व्यय की जायेगी।

5. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग नियमानुसार स्वीकृत किये गये कार्यों पर ही व्यय की जायेगी।

6. कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का होगा।

7. धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ही किया जायेगा।

8. प्रश्नगत कार्य करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ किये जायें तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों का क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किया जाये।

9. कार्यों की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी सम्बन्धित निकाय/ प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ की होगी तथा उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा/अवधि में ही पूर्ण हो जाये।

10. प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

11. कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत 'डिस्प्ले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था/कार्य प्रारम्भ होने की तिथि का उल्लेख किया जायेगा।

12. व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज को समयान्तर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

13. लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

14. इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियन्त्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखा अधिकारी अथवा सहायक लेखा अधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियन्त्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय विभाग तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

15. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ/निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्यों हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोतों से धनराशि स्वीकृत न की गयी हो तथा न ही वर्तमान में यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है। योजनान्तर्गत यदि किसी कार्य की द्विरावृत्ति होती है, तो सम्बन्धित

उत्तरदायी अधिकारी तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी द्वारा शासन को सूचित किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी तथा वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

16. कार्यों के लिये स्वीकृत धनराशि का व्यय निविदा/कार्यादेश निर्गत होने की सीमा तक किया जायेगा तथा बचत/शेष धनराशि वापस राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेगें।

17. निर्गत की जा रही धनराशि से उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा अतिशीघ्र कार्य पूर्ण कराते हुये कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के साथ शासनादेश सं0-1489/नौ-9-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 में दिये गये निर्देशानुसार प्रत्येक कार्य की जांच आख्या, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं मूल फोटोग्राफ्स (कार्यवार) एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

18. इस सम्बन्ध में शासनादेश सं0-1489/नौ-9-2022-84ज/22, दिनांक-08.08.2022 के माध्यम से निर्गत मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। सम्बन्धित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा समय-समय पर विद्युत विभाग द्वारा विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने हेतु कराये जा रहे कार्य की जाँच कर गुणवत्ता सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु विकसित डैश बोर्ड पर योजना की भौतिक/वित्तीय प्रगति एवं फोटोग्राफ्स् अपलोड किये जायेंगे।

19. पूर्व में अवमुक्त की गयी धनराशि एवं स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष कराये जा रहे कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की पाक्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा इस निमित बनाये गये डैश बोर्ड पर अपलोड की जायेगी।

20. निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय का यह उत्तरदायित्व होगा कि प्रश्नगत धनराशि जिन कार्यो के लिये स्वीकृत की गयी है, वह उन्हीं कार्यो पर व्यय की जा रही है एवं कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से शासन को अवगत कराया जाये।

21. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17.03.2023 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

22. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा निकायवार कार्य पूर्ण कराते हुए (प्रत्येक निकाय का नाम सहित) कराये गये कार्यो का विवरण (लागत सहित), निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2217801910300 (उच्चीकृत/सीमा विस्तारित नगर निगमों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	037	2217801910300 उच्चीकृत / सीमा विस्तारित नगर निगमों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास	35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	1,63,00,00,000 (रुपये एक अरब त्रेसठ करोड़ मात्र)
	कुल			**1,63,00,00,000 (रुपये एक अरब त्रेसठ करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2217801920300 (उच्चीकृत/सीमा विस्तारित नगर पालिका परिषदों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि

1	037	2217801920300 उच्चीकृत / सीमा विस्तारित नगर पालिका परिषदों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास	35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	1,60,50,00,000 (रुपये एक अरब साठ करोड़ पचास लाख मात्र)
	कुल			**1,60,50,00,000 (रुपये एक अरब साठ करोड़ पचास लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2217801930300 (नवसृजित नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	037	2217801930300 नवसृजित नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास	35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	89,00,00,000 (रुपये नवासी करोड़ मात्र)
	कुल			**89,00,00,000 (रुपये नवासी करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2217801930400 (उच्चीकृत/सीमा विस्तारित नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	037	2217801930400 उच्चीकृत / सीमा विस्तारित नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास	35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	85,50,00,000 (रुपये पचासी करोड़ पचास लाख मात्र)
	कुल			85,50,00,000 (रुपये पचासी करोड़ पचास लाख मात्र)

महायोग	4,98,00,00,000 (रुपये चार अरब अट्ठानबे करोड़ मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

Digitally signed by संजय कुमार तिवारी
Date: 10-02-2024 15:45:23
Reason: Approved
(संजय कुमार तिवारी),
अनु सचिव।

संख्या- /2024/70मु0मं0न0सू0यो0/9-2-2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, कोषागार, लखनऊ।
(4) अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
(5) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
(6) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(7) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(8) संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(9) संबंधित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगर निकाय द्वारा निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(10) निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
(11) सहायक निदेशक, (वित्त), नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(12) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
(13) कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
(14) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय कुमार तिवारी),
अनु सचिव।